समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–29/2019–20

जिला खनन पदाधिकारी (राज्य)

–बनाम्–

भूतनाथ शर्मा

–::आदेश::–

03.03.2021 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–27/2019–20, दिनाक–26.11.2019 के द्वारा चास (मु0) थाना कांड सं0–51/2019, दिनांक–24.06.2019, धारा–414 भा0द0वि0 21 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर सं0–JH-09T-1471 पर लदे करीब 100 घनफीट बालु, वाहन मालिक श्री भूतनाथ शर्मा पिता कालीपद शर्मा, सा0–डुमरजोर, थाना–चास (मु0), जिला–बोकारो के विरूद्ध अवैध रूप से बालू का खनन/परिवहन के आरोप में यह वाद Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार (प्रथम पक्ष) की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता एव विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–24.06.2019 को जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के क्रम में चास (मु0) थाना क्षेत्र में अवैध बालू का उठाव कर परिवहन करते समय प्रश्नगत वाहनों को पकड़ा गया है। मालिक/चालक से परिवहन चालान का माँग किये जाने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई संतोष जनक जबाब दिया गया। पर्यवेक्षण के दौरान यह बात प्रकाश में आया कि प्रश्नगत ट्रैक्टर के मालिक/चालक के द्वारा अवैध तरीके से बिना वैध पट्टेधारी एवं बिना वैध परिवहन चालान के खनिजों का खनन/परिवहन किया जा रहा था। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी दलील दिया गया कि झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 का उद्देश्य वैज्ञानिक खनन के तरीकों से पर्यावरणीय स्वच्छता, जैवविविधकी को ध्यान में रखते हुए राजस्व अर्जित करना है। जबकि अवैध उत्खनन उपर्युक्त नियमावली के उद्देश्यों के प्रतिकूल है। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21.4 (क) के अधिन अधिहरित कोई खनिज, औजार, उपस्कर, यान अथवा अन्य चीज उपधारा 21(1) के अधिन अपराध का संज्ञान

करने के लिए सक्षम न्यायालय के किसी आदेश द्वारा अधिहरित की जा सकेगी और उसका ऐसे न्यायालय के निर्देशों के अनुसार व्ययन किया जाएगा। उक्त अधिनियम में अधिहरण की प्रक्रिया जटिल एवं लंबी होने के कारण The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम की नियम 11 (v) के अन्तर्गत "Any minerals, tool, equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall disposed of in accordance with direction of such court." इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि अभियोजन का उद्देश्य अभियुक्त का सजा दिलाना है जो एक जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है जबकि अधिहरण एक त्वरित न्यायिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अवैध खनन में लिप्त वाहन के दुरूपयोग को रोकना तथा अभियुक्त को आर्थिक दण्ड देने के साथ ही अपराध के मूल साधन को समाप्त करना है। Cr.P.C 1973 की धारा–5 के अनुसार Special Act की उपस्थिति में Cr.P.C के प्रावधान लागू नहीं होगें। अर्थात Cr.P.C के धाराओं के तहत उक्त वाहन को मुक्त नहीं किया जायगा बल्कि खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जायगी। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से बालू का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि सभी वाहनों गलत तरीके से जप्त किया गया है। उनके द्वारा AIR 2003 Supreme Court page 638 to 642 की छायाप्रति दाखिल करते हुए जप्त वाहनों को राष्ट्र की सम्पत्ति की क्षति का हवाला देते हुए जप्त वाहनों को बंध पत्र के आधार पर मुक्त करने का अनुरोध करते है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जप्त वाहन बैंक से ऋण लेकर खरीदा गया है। वाहन के जप्त हो जाने से वाहनों के मालिक ऋण चुकाने में असमर्थ हो गये है और उनका खाता एन0पी0ए0 हो गया है। जिससे सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। अंत में उनके द्वारा वाहन मालिकों पर सहानुभूति करते हुए जप्त वाहन को मुक्त करने का अनुरोध करते है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अध्ययन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक एवं मालिकों के द्वारा अवैध तरीके से बिना वैध पट्टेधारी के एवं बिना वैध परिवहन

चालान के खनिजों का खनन/परिवहन किया जा रहा था। उनके द्वारा अपने बचाव में किसी भी तरह का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिससे कि वाहन के विमुक्ति पर विचार किया जा सके।

वर्णित परिस्थिति जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–27/2019–20, दिनांक–26.11.2019 को स्वीकृत करते हुए विपक्षी के द्वारा दाखिल लिखित बहस को खारिज किया जाता है एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के उल्लंघन के आरोप में चास (मु0) थाना कांड सं0–51/2019, दिनांक–24.06.2019 के अन्तर्गत जप्त प्रश्नगत वाहन एवं बालु को राज्य सरकार के हित में राज्यसात किया जाता है। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी।
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.24 20:27:33 +05:30
Location: 192.168.91.234